

## (पेंशनर्स एवं अन्य निःशुल्क उपचार योजनान्तर्गत औषधि प्रदाय हेतु ई-निविदा की नियम एवं शर्तें)

1. पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान, भोपाल के चिकित्सालय में राज्य शासन के पेंशनर तथा अन्य उपचार योजनाओं के अन्तर्गत हितग्राहियों को निःशुल्क उपचार की औषधियां स्थानीय कय के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु (बर्ष 2021-22) ई-निविदा प्रक्रिया के अन्तर्गत निविदाये आमंत्रित की जाती है। जो कि <https://mptenders.gov.in/> पर निर्धारित समयावधि में उपलब्ध है। निविदा प्रस्तुत करने के नियम निर्देश एवं शर्तें महाविद्यालय की वेबसाइट <http://www.klsgaci.edu.in> पर भी प्रदर्शित है।
2. ई-निविदा प्रपत्र प्राप्त करने एवं जमा करने अंतिम तिथि 20.03.2021 को सांय: 05.00 बजे तक हैं, ई-तकनीकी निविदा महाविद्यालय में दिनांक 22.03.2021 को दोपहर 02.00 बजे एवं वित्तीय निविदा दिनांक को 23.03.2021 दोपहर 02.00 mptender.gov.in से डाउनलोड की जा सकेगी।
3. ई-निविदा दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं है, निविदाकर्ता द्वारा कार्यादेश का कुछ भाग या पूर्ण भाग अन्य किसी ठेकेदार/व्यक्ति को नहीं सौंपेगा। यदि किसी निविदाकर्ता द्वारा किसी अन्य फर्म/व्यक्ति को कार्य सौंपना या कार्य कराता पाया जाता है तो उसका अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त कर निष्पादन प्रतिभूति राशि राजसात की जावेगी एवं संबंधित फर्म को Black Listed किया जायेगा, जिसमें किसी भी तरह का वाद विवाद नहीं किया जावेगा तथा एल-02 निविदाकर्ता को कार्य आदेश दिया जावेगा।
4. इच्छुक ई-निविदाकर्ता ऑनलाइन mptender.gov.in से ई-निविदा राशि रू. 1000/- का भुगतान कर ई-निविदा प्राप्त कर सकते हैं जिसको mptender.gov.in पर तकनीकी एवं वित्तीय निविदा पृथक-पृथक आनलाइन सबमिट की जाना है।
5. ई.एम.डी.की राशि रूपये 100000/- (रूपये एक लाख मात्र) ई-पेमेन्ट के माध्यम से mptender.gov.in पर tender प्रविष्ट करते समय भुगतान करना होगा। सफल निविदाकार की ई.एम.डी. राशि अनुबध होने के उपरांत नियमानुसार वापस की जावेगी, शेष निविदाकारों की ई.एम. डी.राशि mptender.gov.in के माध्यम से वापस लौटा दी जावेगी। सफल निविदाकार को निष्पादन प्रतिभूति राशि (अनुबध राशि के 5 से 10 प्रतिशत तक) बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से संस्थान में जमा करना होगा निष्पादन प्रतिभूति राशि बिना ब्याज के अनुबध समाप्त होने पर वापस लौटा दी जावेगी।

6. राज्य शासन के पेंशनर्स तथा अन्य उपचार योजना अन्तर्गत निःशुल्क उपचार की सुविधा हेतु आयुर्वेदिक शास्त्रोक्त एवं पेटेन्ट औषधियां ही सप्लाई की जाना है। औषधियों का आदेश प्राप्त होने के पश्चात् 24 घंटे अर्थात् एक दिवस में संस्थान चिकित्सालय के स्टोर में औषधियां प्रदाय करनी होगी। इसके लिए पृथक से कोई किराया भाड़ा देय नहीं होगा। अधिकतम खुदरा मूल्य में से छूट राशि को कम कर शेष राशि पर नियमानुसार जी.एस.टी. देय होगा।
7. औषधियों पर अधिकतम खुदरा मूल्य में कितने प्रतिशत की छूट देय होगी, इस हेतु वित्तीय निविदा में खुदरा मूल्य से छूट का प्रतिशत अंकों व शब्दों में <https://mptenders.gov.in> पर ई-वित्तीय निविदा की एक्सल शीट BoQ में अंकित करना है।
8. औषधियों के आदेशानुसार पृथक-पृथक देयक तीन प्रतियों में संस्थान चिकित्सालय में प्रस्तुत करना होगा।
9. औषधियों के गुणवत्ता संबंधी प्रमाणीकरण चिकित्सालय के अधीक्षक के द्वारा मान्य होने के पश्चात् ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।
10. किसी भी पेंशनर या अन्य उपचार योजना के अन्तर्गत हितग्राही रोगी की शिकायत प्राप्त होने पर तथा नियम शर्तों का पालन न करने पर अथवा सन्तोषजनक सेवा न पाये जाने पर आदेश तत्काल निरस्त कर दिये जावें एवं सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होगी।
11. निविदा की अवधि एवं दरें 31 मार्च 2022 तक के लिये मान्य होगी। दोनों पक्षों की सहमति से समान शर्तों के साथ समयावधि में एक वर्ष की वृद्धि की जा सकती है।
12. ई-निविदा स्वीकार होने पर सफल निविदाकार को एक अनुबंध राशि रुपये 500.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी कर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जिसका व्यय निविदाकार को वहन करना होगा।
13. सफल ई-निविदाकार को निष्पादन प्रतिभूति के रूप में विगत वित्तीय वर्ष के आंकलन के आधार पर 5 से 10 प्रतिशत तक की राशि जमा करना होगा।
14. जिस फर्म को औषधियां प्रदाय हेतु आदेश किया जायेगा, यदि वह फर्म निर्धारित अवधि में शर्तों का पालन न करते हुए अथवा किसी अन्य कारण से औषधियां प्रदाय नहीं करती हैं, तो ऐसी स्थिति में जमा निष्पादन प्रतिभूति की राशि राजसात कर ली जावेगी, तथा संबंधित फर्म को ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही की जावेगी।
15. वांछित सभी कम्पनियों/फर्मों/फार्मसियों की दवायें उपलब्ध करवाना होंगी।
16. निविदाकर्ता फर्म का जीवित गुमास्ता संबंधित कार्य का होना तथा जीएसटी नं. होना अनिवार्य है।
17. निविदाकर्ता फर्म का वित्तीय वर्ष 2019-20 का टर्न ओवर न्यूनतम 60 लाख होना आवश्यक है जिसके साक्ष्य के रूप में वित्तीय वर्ष 2019-20 की आयकर विवरणी की प्रति, बैलेस शीट, लाभ-हानि पत्रक (चाटेर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित) एवं वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 की आयकर विवरणी तकनीकी निविदा के दस्तावेजों के साथ अपलोड करना

आवश्यक है ।

18. आवेदनकर्ता फर्म प्रदेश के किसी भी शासकीय संस्था से ब्लैक लिस्टेड नहीं होनी चाहिए। यदि जानकारी प्राप्त होती है, तो निष्पादन प्रतिभूति राशि राजसात कर संबंधित फर्म की निविदा/अनुबंध निरस्त कर दिया जावेगा। इस संदर्भ में ब्लैक लिस्टेड न होने का घोषणा पत्र राशि रुपये 100.00 के नान जूडिशियल स्टॉप पर तकनीकी निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
19. ई-निविदा खोलने की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए निविदाकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधि होने का अधिकृत पत्र प्रस्तुत करने पर ही, शामिल होने की अनुमति दी जायेगी।
20. जिस फर्म द्वारा खुदरा मूल्य पर छूट का प्रतिशत सर्वाधिक होगा उसी फर्म की निविदा स्वीकार होगी, यदि निविदा की छूट का प्रतिशत समान होता है, तो उसे लाटरी सिस्टम से खोला जावेगा, जिसे सभी को मान्य करना होगा।
21. ई-निविदाओं को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार प्रधानाचार्य को होगा, जो सभी को मान्य एवं बंधनकारी होगा।
22. किसी भी विवाद की स्थिति में प्रधानाचार्य का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा इसका पालन करना होगा।
23. ई-तकनीकी निविदा में जो दस्तावेज अपलोड किये हैं, उन दस्तावेजों की सत्यापित प्रति का 01 सेट ई-तकनीकी निविदा खोलते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
24. अन्य कोई शर्त आवश्यकता पड़ने पर मान्य करना होगी।
25. ई-तकनीकी निविदा का विश्लेषण करते समय केवल बांछित दस्तावेजों (चेक लिस्ट के अनुसार) को ही विचार में क्षेत्र में लिया जावेगा।
26. किसी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा।

प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद  
महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल

१

## चेक लिस्ट

क्रं.	दस्तावेजों के नाम	संलग्न हां/ नहीं
1	गुमास्ता की छायाप्रति	
2	पैनकार्ड की छायाप्रति	
3	GSTIN.पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति	
4	वित्तीय वर्ष 2019-20 का टर्न ओवर न्यूनतम 10 लाख के साक्ष्य के रूप में वित्तीय वर्ष 2019-20 की आयकर विवरणी की प्रति, बैलेस शीट, लाभ-हानि पत्रक (चाटेर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित) एवं वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 की आयकर विवरणी	
5	ई.एम.डी.राशि की ई-प्रिंटेड प्रति	
6	ब्लैक लिस्टेड न होने का घोषणा पत्र राशि रु 100.00 के नान ज्युडीशियल स्टांप पर	
7	प्रपत्र-3 अनुसार शपथ पत्र	

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर.....

निविदाकर्ता का नाम.....

फर्म का नाम .....

पता.....

मोबाइल नं.....

पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय(स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल  
पेंशनर्स एवं अन्य उपचार योजनान्तर्गत औषधियों के स्थानीय क्रय हेतु तकनीकी निविदा  
(तकनीकी ई-निविदा प्रपत्र -01)

1. निविदाकर्ता फर्म का नाम-----
2. फर्म के मालिक का नाम----- पिता का नाम-----
3. वर्तमान निवास का पता-----
4. दूरभाष/मोबाईल नम्बर-----
5. GSTIN NO.-----
6. जीवित गुमास्ता नं.....दिनांक .....
7. पैन कार्ड न.....
8. ई.एम.डी. राशि अंको में.....शब्दों में-----यू.टी.आर. न0 .....
- दिनांक.....बैंक का नाम.....
- ( ई.एम.डी.राशि ई-प्रिंटेड प्रति तकनीकी निविदा के दस्तावेजों के साथ अपलोड करना होगा )
9. निविदाकर्ता फर्म का वित्तीय वर्ष 2019-20 का टर्न ओवर न्यूनतम 10 लाख होना आवश्यक है ,जिसके साक्ष्य के रूप में वित्तीय वर्ष 2019-20 की आयकर विवरणी की प्रति ,बैलेस शीट,लाभ-हानि पत्रक (चाटेर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित) एवं वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 की आयकर विवरणी तकनीकी निविदा के दस्तावेजों के साथ अपलोड करना आवश्यक है । संलग्न हों/नहीं
- 10 जीवित गुमास्ता संबंधित कार्य का होना अनिवार्य होगा । जिसे तकनीकी निविदा के दस्तावेजों के साथ अपलोड करना आवश्यक है । संलग्न हों/नहीं
11. प्रपत्र-03 अनुसार शपथ पत्र राशि रु 100.00 एक सौ मात्र के नान ज्युडीशियल स्टांप पर नोटराइज कराकर तकनीकी निविदा के दस्तावेजों के साथ अपलोड करना आवश्यक है । संलग्न हों/नहीं
12. निविदाकार फर्म किसी शासकीय /अशासकीय/अर्धशासकीय संस्था द्वारा ब्लैक लिस्ट नही होना चाहिए इस हेतु शपथ पत्र राशि रु 100.00 एक सौ मात्र के नान ज्युडीशियल स्टांप पर नोटराइज कराकर तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा । संलग्न हों/नहीं

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

निविदाकर्ता का नाम-----

## ई-वित्तीय निविदा प्रपत्र -02

	प्रतिशत	
	अंकों में	शब्दों में
औषधियों के खुदरा मूल्य पर अधिकतम छूट (प्रतिशत में)		

नोट- उक्त प्रपत्र प्रारूप मात्र है इस प्रपत्र के अनुसार छूट प्रतिशत राशि को ई-वित्तीय निविदा ऑनलाइन [www.mptender.gov.in](http://www.mptender.gov.in) पर तकनीकी निविदा की एक्सल शीट BoQ में ही दर्ज करना है।

// शपथ -पत्र //

मैं.....पिता श्री.....

निवासी ..... उम्र..... शपथ पूर्वक कथन कथन करता हू कि उपरोक्त पेंशनर्स एवं अन्य उपचार योजनान्तर्गत औषधियों की आपूर्ति हेतु की ई- निविदा दस्तावेज में अंकित समस्त शर्तों का पूर्ण होश-हवास में अध्ययन कर लिया है जिसकी समस्त शर्तें मुझे मान्य है । एवं मेरे द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेज वैधानिक है । निविदा की शर्तों का पालन नहीं करने एवं मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज त्रुटि पूर्ण पाये जाने की स्थिति में यदि मेरी निविदा /अनुबंध निरस्त की जाती है ,तो मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी ।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

निविदाकर्ता का नाम\_\_\_\_\_

मोबाइल नं०

नोट :- उक्त शपथ पत्र राशि रु 100.00 एक सौ मात्र के नान ज्युडीशियल स्टांप पर नोटराइज कराकर तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा ।